हाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत श्रनुमति-पत्र के भोपाल — 505/डब्ल्य् पी.



याध्याप्रदेशा राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 313]

रिया ३८. अस वर्षे ५८

વ કર્યા પ્રસુ કરા વધુમાં ઉત્તરક

का, जामाल - 505/बबार् । के

मोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 1981-- आश्विन 15, शके 1903

विधि ग्रौर विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 ग्रक्ट्बर 1981

क. 23905-इक्कीस-ग्र(प्रा).--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित ग्रिधिनियम जिस पर दिनांक 5 श्रवटूबर 1981 को राष्ट्रपति की ग्रनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण जीहरी, सचिव

मध्यप्रदेश ग्रधिनियम क्रमांक ३४ सन् १६८१

मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) ग्रिधनियम, १६५११

[दिनांक ५ प्रक्टूबर १६८१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्न" (ग्रसाधारण) में दिनांक ७ अक्टूबर, १६८१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश फिसरीज एक्ट, ११४८ को ग्रीर संशोधित करने हेतु ग्रधिनियम.

भारत गणराज्य के बत्तीसर्वे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अभिनियमित हो :---

- १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, १६८१ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश फिसरीज एक्ट, १६४८ (क्रमांक ८ सन् १६४८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल ग्रिधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

धारा ३ का संशोधनः

- (क) उपधारा (३) में, खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किवे जायं, ग्रर्थात् :---
 - "(च) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर मत्स्य के विहित परिमाण से ग्रिधिक के विक्रय था क्रय को या मत्स्य के परिवहन या संचलन को, उस स्थिति में के सिवाय जब कि वह अनुज्ञप्ति के ग्रिधीन किया जाता है, प्रतिषद्ध कर सकेंगे;
 - (चच) उन कालों को विहित कर सकेंगे जिनके दौरान-
 - (एक) किसी विहित जाति के मत्स्य का मारना या पकड़ना प्रतिषिद्ध होगा;
 - (दो) किसी विहित जाति के मत्स्य का विकय, संचलन या परिवहन, उस स्थिति में के सिवाय जब कि वह श्रृतुश्चित के अधीन किया जाता है, प्रतिषिद्ध होगा;

- खण्ड (च) के ग्रीर खण्ड (चच) के उपखण्ड (दो) के ग्रधीन ग्रन्जण्तियों की मंज्री ग्रीर या उनके लिए देय फीस तथा उनसे संलग्न भी जाने वाली गती का विनियमन कर सकेंगे; भीर";
- (জ) उपधारा (५) में. জण्ड (ए) भ्रौर (बी) के स्थान पर निम्निशियत खण्ड स्थापित किये जायं, अर्थीत् :---
 - "(क) किसी स्थिर इंजन, साधित या उपस्कर के, जो मत्स्य पकड़ने के लिए इन नियमों के उल्लंघन में लगाया गया हो या उपयोग में जाया गया हो, अभिग्रहण, उसके हटाये जाने और उसके समपहरण के लिये;
 - (ख) किसी ऐसे मत्स्य के समपहरण के लिए जो किसी ऐसे स्थिर इंजन, साधित्र या उपस्कर द्वारा उपाप्त किये गये हों अथवा जिनका परिवहन इन नियमों के उल्लंघन में किया गया हो; शीर
 - (ग) इन नियमों के उल्लंघन में मत्स्य का परिवहन करने या उन्हें पकड़ने के लिए उपयोग में लाये गर्य किन्हीं पशुम्रों, गाड़ियों (कार्ट), जलयानों, बेड़ों (रेकट्स), नौकाग्रों या यानों के श्रामग्रहण, उनके हटाये जाने श्रीर उनके समपहरण के लिये.".

घारा ४ का संशोधन.

मूल ग्रिधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्निलिखित धाराएं स्थापित की जायं, ग्रथीत्:—

शास्तियां.

"४. यदि कोई व्यक्ति इस श्रधिनियम या उसके श्रधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबंध का उल्लंधन करेगा तो वह, दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमीने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा

भ्रपराध का संशान.

६-क. इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा.".

धारा ६ का संशोधन.

- ४. मूल ग्रधिनियम की धारा ६ में .--
 - (क) उपघारा (२) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाय, ग्रथीत :--

"परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १६७३ (१६७४ का सं. २) के उपबन्धों के अनुसार उसके निरोध के लिये मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के अधीन के सिवाय, उतने समय से श्रधिक समय के लिये निरुद्ध नहीं रखा जायगा जितना कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे उपस्थित करने के लिए ग्रावश्यक हो.";

- (ख) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, ग्रर्थात् :---
 - "(३) समस्त मत्स्य ग्रधिकारियों को इस ग्रधिनियम के ग्रधीन के किसी ग्रपराध के संबंध में तलाशी, मिमग्रहण और अन्वेषण की वही शक्तियां होंगी जो उपनिरोक्षक की पद श्रेणी के किसी पुलिस ग्रधिकारी की दण्ड प्रक्रिया संहिता, १६७३ (१६७४ का सं. २) के उपबन्धों के ग्रधीन होती हैं.".

धारा ५ का संशोधन.

- प्. मूल अधिनियम की धारा व की उपधारः (१) के स्थान पर निस्ति विख्त उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात:——
 - "(१) <mark>अनुसूचो में विनिर्दिष्ट</mark> किसो अपराध का शमन कलक्टर द्वारा, एक हजार रुपये से अन्धिक कोई राजि प्रतिगृहीत करके किया जा सकेगा.".

धनुषुची का ६. मूल अधिनियम की अनुसूचो में, प्रविष्टि ४ के पण्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्यापित की जायं, संशोधन. ग्रयति :--

- किसी प्रतिषिद्ध जाति के मत्स्य का निषेध काल (क्लोज सीजन) के दौरान परिवहन या परिवहन करने का प्रयास जो नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार न किया जाकर ग्रन्यथा किया जाता है;
- मत्स्य का विहित परिमाण सं अधि रुपरिमाण में विकय या परिवहन या विकय अथवा परिवहन करने का प्रयास जो नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञाकि की शर्ती के अधीन और उनके अनुसार न किया जाकर ग्रन्यथा किया जाता है.".

निरसन.

मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) ग्रध्यादेश, १६८१ (क्रमांक ११ सन १६८१) एतदद्वारा निरस्त किया

भोपाल, दिनांक 7 ग्रक्टूबर 1981

क. 23906-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) प्रधिनियम, 1981 (कमांक 34 सन् 1981), का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्दारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा **ग्रादेशानुसार,** शिवनारायण जौहरी, सचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 34 of 1981

THE MADHYA PRADESH FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1981

[Received the assent of the President on the 5th October, 1981; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th October, 1981.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Fisheries Act, 1948.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

- 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Fisheries (Amend- Short title ment) Act, 1981.
- 2. In section 3 of the Madhya Pradesh Fisheries Act, 1948 (No. 8 of 1948) (hereinafter referred to as the Principal Act)—

 Amendment c: section 3.
 - (a) in sub-section (3), for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:—
 - "(f) prohibited sale or purchase of fish or transport or movement of fish within or outside the State in excess of the prescribed quantity except under a licence;
 - (ff) prescribe the seasons during which-
 - (i) the killing or catching of fish of any prescribed species shall be prohibited;
 - (ii) sale, movement or transport of any prescribed species shall be prohibited except under a licence;
 - (fff) regulate the grant of licences under clause (f) and sub-clause (ii) of clause (ff), and/or prescribe the fees payable therefor and the conditions to be attached thereto; and";
 - (b) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
 - "(a) the seizure, removal and forfeiture of any fixed engine, apparatus or equipment erected or used for fishing in contravention of the rules;
 - (b) the forfeiture of any fish procured by means of any such fixed engine, apparatus or equipment or transported in contravention of the rules; and
 - (c) the seizure, removal and forfeiture of any animals, carts, vessels, rafts, boats or vehicles used for transporting on catching fish in contravention of the rules."

Amendment of section 5.

3. For section 5 of the Principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Penalities.

"5. If any person contravenes any of the provisions of this Act or rules made thereunder, he shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

Cognizance of offence.

5-A. Every offence under this Act shall be cognizable.".

Amendment of section 6.

- 4. In section 6 of the Principal Act,—
 - (a) for the proviso to sub-section (2), the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Provided that no person so arrested shall be detained longer than may be necessary for bringing him before a Judicial Magistrate except under an order of the Magistrate for his detention according to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).";
 - (b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) All Fishery Officers shall have the same powers of search, seizure and investigations in respect of an offence under this Act as a police officer of the rank of a Sub-Inspector has under the provisions the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)."

Amendment of section 8.

- 5. For sub-section (1) of section 8 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) Any offence specified in the Schedule may be compounded by the Collector by acceptance of a sum not exceeding one thousand rupees.".

Amendment of Schedule.

- 6. In the Schedule to the Principal Act, after entry 4, the following entries shall be inserted, namely:—
 - "4-A. Transporting or attempting to transport any fish of a prohibited species during a closed season except under and in accordance with the conditions of the licence granted under the rules;
 - 4-B. Selling or transporting or attempting to sell or transport fish in excess of the prescribed quantity except under and in accordance with the conditions of the licence granted under the rules.".

Repeal.

7. The Madhya Pradesh Fisheries (Amendment) Ordinance, 1981 (No. 11 of 1981) is hereby repealed.